न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 106/2015
दायर दिनांक :– 19.05.2015

अनवान

1. सीता पुत्री उदा पत्नि गोपी गुर्जर हाल नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
2. मनभर पुत्री उदा पत्नि दुर्गालाल गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. जीतमल पिता उदा गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
2. भागुती पत्नि रामेश्वर गुर्जर नि. गोकलपुरा पुत्री किसन गुर्जर नि. बिहाडा
3. रेखा पुत्री रामेश्वर ना. बा. ब. बि. माता भागुती हाल नि. बिहाडा
4. भुला बेवा उदा गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
5. कैलाश पिता भैरू गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
6. बरदी बेवा भैरू गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
7. जगदीश पिता भागा गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
8. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर
9. बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ बडोदा शाखा जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट वादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 06.04.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम गोकलपुरा प. ह. जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 132, 264, 268, 269, 275, 288, 291, 299, 489, 498 कुल किता 10 रकबा 21.17 बीघा जीतमल पिता उदा 1/3 भागुती बेवा रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर ना. बा. ब. बि. माता भागुती 1/3 भूली बेवा उदा 1/3 गुर्जर के नाम खातेदारी से स्थित है। ग्राम गोकलपुरा प. ह. जसवन्तपुरा में स्थित आराजी नं. 282, 283, 285, 491 कुल किता 04 रकबा 05.10 बीघा भूमि कैलाश पिता भैरू मु. बरदी बेवा भैरू 1/4 जगदीश पिता भागा 1/4 जीतमल पिता उदा 1/6 भागुती बेवा रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर ना. बा. ब. बि. माता भागुती 1/6 भूला बेवा उदा 1/6 गुर्जर के नाम खातेदारी से स्थित है। उदा की मृत्यु हो गई उसके 2 लडके जीतमल रामेश्वर 2 पुत्रीया सीता मनभर है। रामेश्वर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

की मृत्यु हो गई उसकी विधवा भागुती व पुत्री रेखा रहे। उदा की मृत्यु उपरान्त विरासत से खाता खोलते वक्त जीतमल ने रेवन्यू अधिकारियों से मिल कर खाता रद्दोबदल करा लिया वह वादिया दोनो बहनो का नाम दर्ज नही करवाया। हिन्दू लॉ के अनुसार पिता की मृत्यु उपरान्त उसके लडके लडकीयों का बराबर का उसकी सम्पति में हक है लेकिन रेवेन्यु अधिकारी ने जानबूझ कर बिना जॉच कीये नामान्तरण फैसल किया वह विरासत से खाता रद्दोबदल किया। वादीया को प्रतिवादी सं. 1 जीतमल द्वारा भूमि बेचे जाने की जानकारी होने से रेवेन्यू रेकार्ड की नकले लेने पर पता चला की वादी का नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज नही हैं इसलिए वादीया या रेवेन्यु रेकार्ड में चरण सं 1 व 2 में वर्णित भूमि को उदा की पूत्री की हैसियत से सहखातेदार की घोषणा करवाना चाहती है। वह वादी की वारीस होने से अपना नाम प्रतिवादी सं. 1 2 3 4 के साथ जुडवाना चाहती हैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की भी स्थाई निशेधाज्ञा जारी कराना चाहती है कि प्रतिवादी को उनके हिस्से की भूमि काश्त करने में रूकावट नही करे। वादी को वाद हेतु दिनांक 25.04.15 को रेवेन्यू रेकार्ड की नकल लेने पर जानकारी होने के कारण दिनांक 25.04.15 से वाद हेतु उत्पन्न होकर जारी है। वादपत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी का वादीगण का नाम प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ उदा की पुत्रीया होने से जोडे जाकर सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति खाता सं. 76 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति खाता सं. 35 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 की प्रति प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 की प्रति प्रदर्श 4, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी सीता देवी पी. डब्ल्यु 1, मनभर देवी पी. डब्ल्यु 2, भैरूलाल पी. डब्ल्यु 3 के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वर्णित कृषि भूमि उदा जी की पैतृक जमीन है उदा जी के 2 लडके जीतमल, रामेश्वर व 2 पुत्रिया सीता, मनभर व पत्नि भूला हुई रामेश्वर की मृत्यु होने से उसकी पत्नि भागूति व पुत्री रेखा है। उदा की मृत्यु के बाद विरासत से खाता जीतमल,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

रामेश्वर व उनकी पत्नि भूला के नाम खुला जबकि उदा के 2 लडकिया सीता व मनभर का नाम खाते में नही खुलाया उदा के दोनो लडकियो का भी हक व हिस्सा भी बनता है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पिता की मृत्यु उपरान्त उसके लडके लडकियों का बराबर का उसकी सम्पत्ति में हक है इसलिये वादपत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित आराजी का वादीगण के नाम प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ उदा की पुत्रीया होने से जोडे जाकर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पूर्व में उदा पिता काना के नाम दर्ज थी जिसमें उनकी मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर उदा हिस्से में जीतमल, रामेश्वर पिता उदा तथा भूला बेवा उदा के नाम नामान्तरकरण सं. 2252 दिनांक 20.06.90 एंवम 2351 दिनांक 11.05.91 से दर्ज कर उदा के वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2044– 2047 प्रदर्श 03 व 04 एंवम उस पर अंकित नामान्तरकरण संबधी नोट से होती है। वादी सं. 2 मनभर देवी मृतक उदा की पुत्री है जिसकी पुष्टि मनभर देवी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एवं भैरूलाल पी डब्ल्यु 3 के बयानों से होती है। वादी सं. 1 सीता मृतक उदा की पुत्री है जिसकी पुष्टि मनभर पी डब्ल्यु 1, भैरूलाल पी डब्ल्यु 3 के बयानों से होती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार विरासत के आधार पर पेतृक सम्पत्ति में सभी पुत्र पुत्रियों का समान अधिकार होता है। मृतक उदा की आराजी में उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगंण के नाम नामान्तकरण दर्ज न करना विधिक त्रुटि है। वादीगण मृतक उदा की आराजी में विरासत के आधार पर नियमानुसार स्वयं को खातेदार घोषित कराने का अधिकार रखती है। अतः न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम गोकलपुरा प. ह. जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 132, 264, 268, 269, 275, 288, 291, 299, 489, 498 कुल किता 10 रकबा 21.17 बीघा तथा आराजी नं. 282, 283, 285, 491 कुल किता 04 रकबा 05. 10 बीघा भूमि का वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर वादीगण को उनके पिता उदा की मृत्यु उपरान्त विरासत के आधार पर विधिअनुसार प्राप्त होने वाले हिस्से पर उनका नाम दर्ज करे। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. सीता पुत्री उदा पत्नि गोपी गुर्जर हाल नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
2. मनभर पुत्री उदा पत्नि दुर्गालाल गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. जीतमल पिता उदा गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
2. भागुती पत्नि रामेश्वर गुर्जर नि. गोकलपुरा पुत्री किसन गुर्जर नि. विहाडा
3. रेखा पुत्री रामेश्वर ना. बा. ब. बि. माता भागुती हाल नि. विहाडा
4. भुला बेवा उदा गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
5. कैलाश पिता भैरू गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
6. बरदी बेवा भैरू गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
7. जगदीश पिता भागा गुर्जर नि. गोकलपुरा तह. जहाजपुर
8. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाज़पुर
9. बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ बडोदा शाखा जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 88, 89, 90, 92ए आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 106 /2015

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः ग्राम गोकलपुरा प. ह. जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आराज़ी नं. 132, 264, 268, 269, 275, 288, 291, 299, 489, 498 कुल किता 10 रकबा 21.17 बीघा तथा आराजी नं. 282, 283, 285, 491 कुल किता 04 रकबा 05.10 बीघा भूमि का वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर वादीगण को उनके पिता उदा की मृत्यु उपरान्त विरासत के आधार पर विधिअनुसार प्राप्त होने वाले हिस्से पर उनका नाम दर्ज करे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner